फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

अजीतकुमार बनाम **मुखराम आदि**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट — रिस्टोर प्रकरण संख्या 255 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.05.2025	वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार होने पर मूल वादपत्र को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते तल्बी प्रतिवादीगण आईन्दा तारीख 02.06.2025 को पेश हो।	अजीत कुमार
2.6.2025	बकुलाए फरीकैन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी का.लाड ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे वाद वादी व शामिल फाईल किया। पत्रावली वास्ते रूबरू जवाब आईन्दा तारीख 6.6.2025 को पेश हो।	हनुमान
6.6.2025	बकुलाए फरीकैन उपस्थित/PO मुहर कार्य फोनल है। पत्रावली [illegible] दिनांक 21.7.2025 को पेश हो	सुभाष सुमन बसन्ती
21.7.2025	बकुलाए फरीकैन उपस्थित। रूबरू जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा वादी-प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी [illegible] साहित निर्णय [illegible] शामिल फाईल किया [illegible] से काम करवाकर वाद तसदीक [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	प. कार्य

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.24 16:02:34 IST
Reason: SelfAttested